।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत चिकानी

राजस्व वाद नं० 1/50 तारीख रज्जू 30.03.2016

01– सुधा पत्नि श्री घनश्याम दास जाति महाजन निवासी प्लॉट नम्बर 50–ए, लाजपत नगर, अलवर **–वादीया**

बनाम

01– रहमती स्त्री अब्दुल रहमान जाति मेव निवासी ग्राम लॉर्ड स्कूल के पास, चिकानी तहसील व जिला अलवर

02– रवि सिंघल पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति महाजन निवासी 6 क 564, शिवाजी पार्क, अलवर

03– श्रीमति अंजू सिंघल पत्नि श्री मनीष सिंघल जाति महाजन निवासी 152, सूर्य नगर, अलवर

04– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील अलवर

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

दावा बाबत तकसीम आराजीयात व हुक्मइम्तनाई दवामी

–: निर्णय :– दिनांकः 07.12.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1141 रकबा 29 ऐयर, खाता संख्या 605 एवं आरजी खसरा नम्बर 1146 रकबा 21 ऐयर खाता संख्या 606 वाके ग्राम चिकानी सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर में

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

स्थित है। जो वादपत्र में विवादित आराजी है। उपरोक्त विवादित आराजी में वादीया की 1/2 हिस्से की खातेदारी है। आराजी खसरा नम्बर 1141 में प्रतिवादी संख्या 1 रहमती का 19/58 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 1146 मे 1/2 हिस्सा है, जिसकी वो राजस्व रिकार्ड में खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 2 रवि सिंघल खसरा नम्बर 1141 में 10/58 हिस्से का खातेदार है जिसने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दिया है जिसका इंतकाल वैय अभी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज व स्वीकार नही हुआ है, प्रतिवादी संख्या 3 रवि सिंघल के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रही है, अब प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उपरोक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी मुतनाजा में अपने अपने हिस्से अनुसार प्रत्येक इंच में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी पर शामलात रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी अबट आराजी है। वादीया एवं प्रतिवादीगण शामलात में काश्त करते चले आ रहे है इसलिए आपस में मतभेद होते रहते है तथा झगडे फिसाद की पूरी पूरी सम्भावना बनी रहती है। वादीया अपनी आराजी की देखभाल काश्त प्रबन्ध के लिए जाती है तो प्रतिवादीगण 1 व 3 वादीया को शान्तिपूर्वक काश्त नही करने देते है तथा आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी देते है। वादीया दिनांक 20.03.2016 को अपनी आरजी की देखभाल एवं काश्त प्रबन्ध करने आराजी मुतनाजा पर गयी तो प्रतिवादीगण 1 व 3 ने वादीया के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की, वादीया के आराजी को हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी तकसीम कराने के लिए कहा तो उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया। यदि प्रतिवादीगण 1 व 3 ने वादीया को अपने हिस्से की आराजी को काश्त नही करने दिया तथा जबरन बेदखल कर दिया तो वादीया को भारी नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही की जा सकेगी। वादीया ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1141 रकवा 29 ऐयर खाता संख्या 605 एवं आराजी खसरा नम्बर 1146 रकबा 21 ऐयर खाता संख्या 606 वाके ग्राम चिकानी सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

में से वादीया का 1/2 हिस्सा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी तकसीम की जाकर खाताबंदी बाबत न्यायालय को निवेदन किया है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। दिनांक 25.06.2018 न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत चिकानी में पत्रावली पेश हुई। लोक अदालत चिकानी में वाद को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर उप तहसीलदार बहादरपुर को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकसीम कर कुर्रे रिपोर्ट भिजवाने के लिए आदेशित किया गया।

उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा आदेश की पालना में निम्नानुसार कुर्रेजात (मौका पर्चा रिपोर्ट) मय नक्शा नजरी भिजवाई गईः—

क्र०सं०	खातेदार का नाम	खसरा नं०	रकबा है० में
01	सुधा पत्नि घनश्याम जाति महाजन नि० ए 50, लाजपत नगर खातेदार	1141 मि०	0.04 है०
		1146	0.21 है०
		कुल किता 2	0.25 है०
02	रवि सिंघल पुत्र कैलाश चन्द जाति महाजन सा० 6 क 564 शिवाजी पार्क, अलवर खातेदार	1141 मि०	0.05 है०
03	रहमती पत्नि अब्दुल रहमान जाति मेव सा० देह खातेदार	1141 मि०	0.20 है०

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 कैम्प चिकानी में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। कुर्रे रिपोर्ट उभय पक्ष को सुना। वादी एवं प्रतिवादीगण ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट पर सहमति पेश कर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

मुताबिक दस्तावेजी सहमति एवं कुर्रे रिपोर्ट उप तहसीलदार बहादरपुर, वादी का वाद निम्न प्रकार तकासमा कर डिक्री किया जाता है:—

क्र०सं०	खातेदार का नाम	खसरा नं०	रकवा
01	सुधा पत्नि घनश्याम जाति महाजन नि० ए 50, लाजपत नगर खातेदार	1141 मि०	0.04 है०
		1146	0.21 है०
		कुल किता 2	**0.25 है०**
02	रवि सिंघल पुत्र कैलाश चन्द जाति महाजन सा० 6 क 564 शिवाजी पार्क, अलवर खातेदार	1141 मि०	0.05 है०
03	रहमती पत्नि अब्दुल रहमान जाति मेव सा० देह खातेदार	1141 मि०	0.20 है०

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 कैम्प चिकानी में लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। उप तहसीलदार बहादरपुर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोळवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

कैम्प – ग्राम पंचायत चिकानी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्यारे लाल सोंठवाल RAS

उनवान

सुधा **बनाम** रहमती वगै०

दावा बाबत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :– 1/50
निर्णय दिनांक :– 07.12.2021

वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.12.2021 को अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प चिकानी में पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि, मुताबिक दस्तावेजी सहमति एवं कुर्रे रिपोर्ट उप तहसीलदार बहादरपुर, वादी का वाद निम्न प्रकार तकासमा कर डिक्री किया जाता है:–

क्र०सं०	खातेदार का नाम	खसरा नं०	रकबा है० में
01	सुधा पत्नि घनश्याम जाति महाजन नि० ए 50, लाजपत नगर खातेदार	1141 मि०	0.04 है०
		1146	0.21 है०
		कुल किता 2	**0.25 है०**
02	रवि सिंघल पुत्र कैलाश चन्द जाति महाजन सा० 6 क 564 शिवाजी पार्क, अलवर खातेदार	1141 मि०	0.05 है०
03	रहमती पत्नि अब्दुल रहमान जाति मेव सा० देह खातेदार	1141 मि०	0.20 है०

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्यारे लाल सोंठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4........ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशित की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			